संख्या-131/2016/718/22-2-2016-17(236)/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2016***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश पुत्र श्री नन्हा निवासी जनपद-उन्नाव की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3283/पर-2/(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-11/2013 व रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-189/2013 सत्य प्रकाश बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा उसके साथ सम्बद्ध 11 अन्य क्रिमिनल रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 16-02-2016 द्वारा 03 माह के अन्दर विचार किये जाने के आदेश दिये गये है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16-02-2016 का संगत अंश निम्नवत उदधृत है:-

..... Therefore, as far as Writ Petition of the Petitioner is concerned, it is disposed of in terms of the aforesaid judgment with the liberty to the Petitioner to approach the Government by appropriate application in accordance with the procedure stated in the said judgment. The petitioner will be entitled to move the said petition within two months. When such petition is made same shall be considered by the Competent Authority and necessary orders be passed thereon within three months thereafter.....

x x x x x x

...Having regard to the time table set up by us, the petition of remission of sentence would be decided within five months. In case, the said petition is decided against the petitioner, the petitioner shall surrender to the Jail Authorities.....

3- आपके उक्त पत्र दिनांक 03-02-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश पुत्र श्री नन्हा, निवासी ग्राम-रामपुर खंजरी, थाना-औरास, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। घटना से 04 दिन पूर्व बन्दी की पत्नी श्रीमती राम रानी ने अपने मायके में जाकर अपने भाई को बताया कि उसे ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया है, उसी दिन बन्दी भी अपनी ससुराल पहुंचा तथा राम रानी द्वारा 5,00/-रू0 व जेवर साथ लाने की बात कहते हुए उसे वापस साथ भेजने को कहा। श्रीमती राम रानी के भाई द्वारा गुडिया के त्योहार के बाद भेजने को कहने पर बन्दी वहीं रूक गया। इसी परिवारिक विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 13-07-1985 को दोपहर लगभग 02:30 बजे चाकू से मारकर कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-517/1985 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश उन्नाव द्वारा दिनांक 17-03-1986 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.12.2015

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तक 19 वर्ष 11 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष 05 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सन्तोषजनक है। पुलिस अधीक्षक, उन्नाव ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने एवं अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि घटना से 04 दिन पूर्व बन्दी की पत्नी श्रीमती राम रानी ने अपने मायके में जाकर अपने भाई को बताया कि उसे ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया है, उसी दिन बन्दी भी अपनी ससुराल पहुंचा तथा राम रानी द्वारा 5,00/-रू0 व जेवर साथ लाने की बात कहते हुए उसे वापस साथ भेजने को कहा। श्रीमती राम रानी के भाई द्वारा गुडिया के त्योहार के बाद भेजने को कहने पर बन्दी वहीं रूक गया। इसी परिवारिक विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 13-07-1985 को दोपहर लगभग 02:30 बजे चाकू से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करते हुए जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नरेश पुत्र श्री नन्हा, निवासी जनपद-उन्नाव की नामिनल रोल पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी नरेश (बन्दी संख्या-17233) पुत्र श्री नन्हा, निवासी जनपद-उन्नाव की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-131/2016/718/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- बन्दी नरेश पुत्र श्री नन्हा, द्वारा केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ/ग्राम रामपुर खंजरी, थाना-औरास, जिला-उन्नाव। (पंजीकृत)
4- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in